न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 56/2024

श्री सा.गुलजार अली खां पुत्र सा.हामिद अली खां निवासी टेगोर टॉकिज के पीछे काफला बाजार टोंक तहसील व जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 26.11.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 29.07.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 502 दिनाक 13.08.2024 से लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

जिला कलेक्टर टोंक के आदेश कमांक 893/आर.ए./दिनांक 21.03.1980 कि प्रमाणित प्रतिलिपी।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक को पत्र कमांक 1444 दिनांक 7.10.2024 व 1547 दिनांक 18.10.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 32–33 दिनांक 17.10.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र दिनांक 17.10..2024 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक